न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्या: 24/2017 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

भैरूराम सैनी पुत्र श्री नानगराम जाति माली, निवासी नीदडवालों की ढाणी, ग्राम निवारू, झोटवाडा जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांक: 17.10.2017

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी, एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जिला जयपुर को दिनांक 28.07.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 22.09.2017 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। किन्तु सूचना प्राप्त नही हुई। अपीलांट स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलांट को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की टिप्पणी प्राप्त नही हुई है। अपीलांट ने अभी तक सूचना नही मिलना बताया है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 28.7.2017 में अंकित वांछित सूचना/रिकार्ड यदि उपलब्ध नहीं कराया गया है तो शीघ्र निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर- प्रथम जयपुर

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट-प्रथम